

राजस्थान सरकार
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी / निजमूस / 2012 / 4832-4942 दिनांक : 7/8/12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेंटर,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :- आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत सोलर लाईट्स के रखरखाव एवं सतत उपयोगिता के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत सोलर लाईट्स स्थापना के सम्बन्ध में विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय पत्रांक 2501-2771 दिनांक 13.09.2010 के माध्यम से प्रसारित किये गये हैं। उक्त परिपत्र के अनुसार प्रवेश बिन्दु गतिविधि अन्तर्गत प्रत्येक जलग्रहण परियोजना में उपलब्ध राशि का अधिकतम 25% व्यय ही सोलर लाईट्स स्थापना पर किया जा सकता है एवं सोलर लाईट्स की स्थापना के बाद ग्राम पंचायत/प्रयोक्ता समूह/जलग्रहण समिति द्वारा इन पर निगरानी एवं रखरखाव की व्यवस्था की जानी है।

विभाग के ध्यान में यह आया है कि कतिपय स्थलों पर आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अन्तर्गत स्थापित सोलर लाईट्स विभिन्न कारणों से खराब हो गई है एवं इनकी उपयोगिता शत प्रतिशत सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अन्तर्गत स्थापित सोलर लाईट्स के रखरखाव एवं सतत उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु इनके रखरखाव का दायित्व स्थानीय स्तर पर लामान्यित होने वाले स्थानीय समुदाय के समूह/स्वयं सहायता समूह/स्थानीय संस्था/ग्राम पंचायत इत्यादि को सौंपा जावे। जलग्रहण विकास दल के सदस्यों से मासिक रूप से इनके चालू होने की सूचना प्राप्त की जावे। सोलर लाईट्स खराब पाये जाने पर सम्बन्धित पी.आई.ए./परियोजना प्रबन्धक द्वारा सोलर लाईट्स के गारन्टी अवधि में होने की दशा में सम्बन्धित कम्पनी से सम्पर्क कर अधिलम्ब इन्हे ठीक कराया जावे एवं कम्पनी द्वारा कार्यवाही नहीं करने की दशा में तुरन्त कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर निदेशालय को सूचित किया जावे।

सोलर लाईट्स के सम्बन्ध में प्रत्येक माह निम्नानुसार प्रपत्र में निदेशालय को सूचना प्रेषित की जावे :-

परियोजना स्वीकृत वर्ष	परियोजना का नाम	गांव का नाम	स्थापित सोलर लाईट्स की संख्या	खराब/अनुपयोगी सोलर लाईट्स की संख्या	खराब/अनुपयोगी रहने के कारण	प्रकरण में की गई कार्यवाही

उक्त कर्मचारी अवेलेनक सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।



निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/4832-4542 दिनांक : 7/8/12

प्रतिलिपि :

- 1 अतिरिक्त निदेशक (प्रथम/द्वितीय), निदेशालय, जयपुर।
- 2 मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
- 3 रामरत्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
- 4 उपनिदेशक (I/WMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII/MIES) P.O.(I.R), निदेशालय, जयपुर।
- 5 रामरत्न लेखाधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
- 6 ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावे।



निदेशक